

न्यायालय उप तहसीलदार तहसील सिंधाना जिला झुंझुनु

गु0न0	किरग गु0	रणु दिनांक	निर्णय दिनांक
55/19	धारा 91	23.7.19	26.08.19

उन्वान सरकार वनाम मातादीन पुत्र मालाराम जाति गुर्जर नि0 इशकपुरा तहसील सुधाना जिला झुंझुनु

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिकमी अनुपरिचित। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी ने सन्वत् 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम इशकपुरा की राजकीय भूमि नै0गु0 जोहड़ ख0न0 23 रकबा 7.40 किरग नै0गु0 जोहड़ में से 0.06 है0 भूमि पर अतिकमी वनाम मातादीन पुत्र मालाराम जाति गुर्जर नि0 इशकपुरा तहसील सुधाना ने अवैध रूप से वाजरा काश्त कर अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी अनुपरिचित हुआ।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबूत का गहनता से गणन किया गया। अतिकमी द्वारा किया गया अतिकमी जो कबिज नियमन नहीं है। वा ही नियमों के अनुरूप है। अतः अतः अतिकमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है। व जैर वहस रिपोर्ट पटवारी पर से वेदखाल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिकमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये वाजरा की फसल कर के दण्ड स्वरूप अतिक्रमण शुदा भूमि के लगान 1.06 की 50 गुणा जुर्माना राशि 528/- रु वतीर शरित वाजरा किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/गु0अ0नि0/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायगी, वेदखाली/ वसुली/ कर राशि राज कोष में जमा करवाने हेतु लिखा जावे। भू0 अ0नि0 को राजकीय भूमि से अतिकमीत भूमि से वास्तविक रूप से वेदखाल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली वाद तकगील तागिल दाखिल दफतर हो तथा नज्दर से कम होकर दर्ज फौसला हो।

आज दिनांक 26.08.19 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



नायब तहसीलदार

गु0न0 के मुकद म 10  
 26/08/19 को सुनाया गया  
 न्यायालय

न. न्यायालय